वीबी-जी रैम जी बिल 2025

- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी - वीबी-जी राम जी- विधेयक , 2025 एमजीएनआरईजीए, 2005 को प्रतिस्थापित करके भारत की दो दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार प्रणाली में व्यापक सुधार का प्रस्ताव करता है ।

वीबी-जी रैम जी बिल द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन

- विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 के लिए गारंटी, मनरेगा, 2005 को प्रतिस्थापित करके भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी के मौलिक पुनर्गठन का प्रस्ताव करता है।
- इस विधेयक में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो एमजीएनआरईजीए के तहत "कम से कम 100 दिनों" से अधिक है।
- कानूनी लचीलेपन के बावजूद, मनरेगा के तहत, नरेगा सॉफ्टवेयर बाधाओं के कारण 100 दिन की वास्तविक सीमा बन गई।
- एमजीएनआरईजीए की धारा 3(4) के तहत मौजूदा प्रावधानों की अनुमति है:
    - सूखाग्रस्त या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिन।
    - वन क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 150 दिन।
- VB–G RAM G विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले अपवाद के बजाय 125 दिनों को मानक वैधानिक हक बनाता है।

केंद्र-राज्य वित्त पोषण में परिवर्तन

- यह एमजीएनआरईजीए से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की 100% लागत का भुगतान करती थी।

VB–G RAM G के तहत प्रस्तावित लागत-साझाकरण:

- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य) का अनुपात।
- अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानमंडल है, वहां यह अनुपात 60:40 है।
- विधानमंडलविहीन विश्वविद्यालय निकायों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण।

एमजीएनआरईजीए के तहत, राज्य मुख्य रूप से केवल निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार थे:

- बेरोजगारी भत्ता
- सामग्री लागत का ¼
- राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यय

कृषि के चरम मौसमों के दौरान वैधानिक विराम

- अधिसूचित कृषि मौसमों के दौरान कोई भी कार्य प्रारंभ या निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- राज्यों को वित्तीय वर्ष में बुवाई और कटाई को कवर करने वाली कुल 60 दिनों की अवधि अग्रिम रूप से अधिसूचित करनी होगी।

- **सूचनाएं निम्न के अनुसार भिन्न हो सकती हैं:**
    - जिलों
    - ब्लाकों
    - ग्राम पंचायतें
- कृषि-जलवायु क्षेत्र और स्थानीय फसल पैटर्न
- सभी योजना एवं कार्यान्वयन प्राधिकरण कानूनी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि कार्य केवल इन अवधियों के बाहर ही हों।
- कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी को दूर करने के साथ-साथ, इससे 125 दिनों की गारंटी को साकार करने की प्रभावी अवधि कम हो जाती है।

एमजीएनआरईजीए में प्रस्तावित बदलाव के पीछे का तर्क

- सरकार का तर्क है कि एमजीएनआरईजीए में बदलाव आवश्यक था, जिसे 2005 में लागू किया गया था, और यह अब वर्तमान ग्रामीण वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- गरीबी के स्तर में गिरावट और डिजिटल पहुंच के विस्तार के बावजूद , यह योजना धन के दुरुपयोग, कमजोर निगरानी और निम्न गुणवत्ता वाली संपत्तियों के निर्माण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का सामना करती रही है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में, गबन की राशि ₹193.67 करोड़ थी, जबकि केवल 7.61% परिवारों ने ही पूरे 100 दिन का काम पूरा किया।
- प्रस्तावित वीबी-जी रैम जी ढांचा इस खंडित दृष्टिकोण को एक अधिक केंद्रित, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण रोजगार प्रणाली से बदलने का प्रयास करता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर VB–G RAM G के अपेक्षित प्रभाव

- सरकार का तर्क है कि नया कानून ग्रामीण रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।
- जल संबंधी कार्यों, ग्रामीण सड़कों, बाजारों और जलवायु-लचीली संपत्तियों को प्राथमिकता देकर, इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और संकटग्रस्त प्रवासन को कम करना है।
- डिजिटलीकृत योजना, भुगतान और निगरानी से दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार होने की उम्मीद है।

किसानों के लिए इसका क्या अर्थ है?

किसानों को कई तरह से लाभ होने की उम्मीद है:

- राज्यों द्वारा सार्वजनिक कार्यों को 60 दिनों तक स्थगित करने की अनुमति मिलने से बुवाई और कटाई के चरम समय के दौरान श्रम की उपलब्धता में सुधार होगा।
- कृषि के महत्वपूर्ण मौसमों के दौरान मजदूरी मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए।
- बेहतर जल और सिंचाई अवसंरचना, जिससे कृषि की लचीलापन में वृद्धि हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क और भंडारण सुविधाओं से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी।

ग्रामीण श्रमिकों को मिलने वाले लाभ

श्रमिकों के लिए, सरकार निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालती है:

- रोजगार की गारंटी वाले दिनों में 25% की वृद्धि (100 दिनों के बजाय 125 दिन)।
- डिजिटल वेतन भुगतान और आधार-आधारित सत्यापन से देरी और वेतन चोरी में कमी आएगी।
- यदि काम उपलब्ध न हो तो अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता।
- सड़कों और जल प्रणालियों जैसी टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण।

- पंचायत के नेतृत्व वाली योजना के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

अधिक सुदृढ़ जवाबदेही और निगरानी

- पिछली कमियों को दूर करने के लिए, विधेयक में मजबूत जवाबदेही तंत्र पेश किए गए हैं:
- एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियाँ
- कार्यों की जीपीएस और मोबाइल आधारित निगरानी
- योजना के आंकड़ों का साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण
- ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष में दो बार सामाजिक लेखापरीक्षा।
- केंद्रीय और राज्य स्तरीय निगरानी समितियाँ